127 | 2021 | H

कार्यालय प्रबंध संचालक

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)
रजि. ऑफिसः निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा, भोपाल – 462023
☎ 0755–2602033–34, 2678280–383–325, फैक्स–2589821
Website: www.mpcz.co.in
CIN Number: U40109MP2002SGC015119

प्रकाश एवं विकास

क्रमांकः प्र.सं./म.क्षे./कार्य एवं योजना/ 1149 भोपाल, दिनांक 04/01/2021

परिपत्र

विषयः–अनुबंध पोर्टल पर पंजीकृत क्रियाशील ठेकेदारों द्वारा दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रक्रिया बाबत्।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प्रसं/मक्षे/कार्य एवं योजना/688 दिनांक 03.10.2020

'अ' श्रेणी विद्युत ठेकेदार के पंजीयन की क्रियाशीलता लाईसेंस की वैद्यता की अंतिम तिथि तक है। इस तिथि के पश्चात् पंजीयन ब्लाक कर दिया जाता है, जिससे उनकी किसी भी निविदा आदि में सम्मिलित होने की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी। पूर्व में ऐसी स्थिति में क्रियाशील ठेकेदार द्वारा नवीन दस्तावेज अपलोड करने की ऑन लाईन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

अनुबंध पोर्टल पर क्रियाशील ठेकेदारों हेतु नवीनीकृत दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैः–

1. क्रियाशील ठेकेदार ऑनलाईन अनुबंध पोर्टल पर प्रक्रिया शुल्क रूपये 500/–(जी.एस.टी. सहित) व (Non Refundable) जमा करना होगा।
2. दस्तावेजों में विशेष रूप से 'अ' श्रेणी विद्युत ठेकेदार लाईसेंस नवीनीकृत दस्तावेज समय–सीमा में अपलोड किया जाना आवश्यक है। जब भी नवीन लाईसेंस के दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे इसके साथ नवीन वर्ष के इनकमटेक्स रिर्टन, नवीन ई.एस.आई. चालान, नवीन जी.एस.टी. चालान, नवीन ई.पी.एफ. चालान अपलोड किया जाना होगा।
3. एक बार प्रक्रिया शुल्क जमा करने पर सभी आवश्यक नवीन दस्तावेज लोड किए जा सकते हैं।
4. इसी प्रक्रिया में आवश्यक होने पर अन्य दस्तावेज जैसे– बैंक विवरण में परिवर्तन, सुपरवाईजर परिवर्तन आदि सम्बंधी जानकारी अपलोड की जा सकती है।

5. प्रक्रिया शुल्क एक बार दस्तावेज अनुमोदन होने तक ही लागू है। इसके पश्चात् कोई अन्य दस्तावेज अपलोड किए जाने पर पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया शुल्क जमा कर लाभ लिया जा सकता है।

6. जिन क्रियाशील ठेकेदार ने लाईसेंस वैद्यता की अंतिम तिथि तक प्रक्रिया शुल्क रूपये 500/– जमा कर दिए हैं उनके द्वारा नवीनीकृत दस्तावेज (अपलोड) की अवधि 60 दिवस रहेगी। उक्त अवधि में नवीन दस्तावेज अपलोड नहीं होने पर वर्तमान में प्रचलित अक्रियाशील ठेकेदार के दस्तावेज लोड करने की प्रक्रिया राशि रूपये 2000/– (जी.एस.टी. सहित) व Non Refundable जमा कराकर दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा।

नोट–जिन ठेकेदारों के लाईसेंस की वैद्यता की अंतिम तिथि 31.12.2020 है ऐसे ठेकेदार दिनांक 12.01.2021 तक उपरोक्त प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं।

उपरोक्त निर्धारित प्रकिया का लाभ ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार ले सके इसके लिए व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित किया जावे।

उप मुख्य महाप्रबंधक (कार्य एवं योजना)

प्रतिलिपिः–

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (कार्य) कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
3. मुख्य अभियंता (कार्य) कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल।
5. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एंव प्रशा./क्रय/क्यू.सी.एम.एम./एस.एम.एण्ड.ओ./एम.एण्ड.बी.एम./शहरी परियोजना/ग्रामीण परियोजना/वाणिज्य) कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल।
6. मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे./ग्वा.क्षे.) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल/ग्वालियर।
7. महाप्रबंधक (संचा./संधा.)/(शहर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,................
8. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल।
9. अति.महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.)/(शहर) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,................
10. महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल।
11. उप महाप्रबंधक (एस.टी.सी./संचा.–संधा.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., ...
12. प्रबंधक, वितरण केन्द्र, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि................
13. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., ...

महाप्रबंधक (कार्य)